जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 06-11-2022**

आज दिनांक 06.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** मु0 अ0सं0 409 / 2022 धारा 376 भादवि एवं 5(ञ) / 6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मोहरत अली पुत्र स्व0 रोजन निवासी बंगुलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को पिपरा हकांर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गयी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 06.11.2022 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री लाला बिहारी निषाद, हे0का0 दिनेश कुमार, 0का0 रमेश मिश्रा।

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के तथा जानमाल की धमकी के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री राम प्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 552 / 2022 धारा 363 / 366 / 506 भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अजय पुत्र रमेश निवासी भैंसाखूंट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उलाहना देने पर जानमाल की धमकी दी गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 06.11.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव, हे0का0 सर्वानन्द सिंह, हे0का0 अनिल यादव।

अभियान चलाकर दबिश के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम **में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 03** वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1 – राम नरेश पुत्र जयराम पासवान निवासी नगरा खुर्द, 2 – पिन्टू उर्फ लालमोहन पुत्र रामनरेश निवासी नगरा खुर्द, 3 – हरिकेश पुत्र विश्वनाथ निवासी बेलवनवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, उ0नि0 श्री नरेन्द्र तिवारी, का0 रमेश यादव, का0 अंकित यादव, का0 अंशुमान द्विवेदी, का0 नीरज सिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त नाम नूर मोहम्मद पुत्र सफात मोहम्मद निवासी रक्शाकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, का0 अरविन्द यादव, का0 वीरेन्द्र, का0 उत्तम चौधरी।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1 – असलम पुत्र दीनू निवासी रूपिन, 2 – नरायण पुत्र नागू निवासी औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, हे0का0 राजेन्द्र पाण्डेय, का0 हरीश सिंह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त नाम पता रामवृक्ष पुत्र परदेशी निवासी बौरव्यास थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जीतेन्द्र सिंह, का0 प्रवीण कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 24 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1494 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल - पीआरवी 1494 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत बखिरा से इवेन्ट संख्या 11385 से मार्ग दुर्घटना में 03 व्यक्तियों (नाम पता 1 – औसर अली पुत्र असगर अली, 2 – एजाज अहमद पुत्र छेगन, 3 – बुद्धू पुत्र नूरे निवासी ग्राम ग्राम कम्हरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 01 मिनट में पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से प्रा0स्वा0 केन्द्र मेहदावल भेजवाया। पीआरवी कर्मियों द्वारा सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंच कर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहनी की गयी।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी शमशेर अली, आरक्षी प्रमोद कुमार राम, हो0चा0 मो0 रफीक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 169 वाहनो से 1,68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनिय म के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 169 वाहनों से 1,68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।